ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-8* November-2020
Anthology : The Research

संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों का महत्व

Importance of Constitutional Rights and Duties

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 26/11/2020, Date of Publication: 27/11/2020

बुध राम
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री खुशाल दास
विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़,
राजस्थान, भारत

सारांश

भारतीय नागरिकों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए संविधान में अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देता हैं। इसके साथ ही मूल कर्तव्यों द्वारा नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग किया गया हैं। इससे देश की एकता, अखण्डता और भाईचारे कि भावना का विकास होता है तथा अपने राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना विकसित होती है। तथा भारत की संस्कृति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने के साथ सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार एवं कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके साथ ही भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीति के प्रति नागरिकों के अपने दायित्व निभाने में भी सहायता मिलती है। देश के विकास के लिए सभी नागरिकों को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

The rights of Indian citizens are described in the Constitution for their all-round development. The constitution guarantees fundamental rights to all citizens without discrimination. Along with this, the citizens have been made aware of their duties by the original duties. This develops the spirit of unity, integrity and brotherhood of the country and develops a sense of service towards our nation. And with understanding of India's culture and scientific outlook, protection of public property and to stay away from violence is inspired. Basic rights and duties are detailed in the Indian Constitution. Along with this, it also helps the citizens to fulfill their responsibilities towards Indian governance and politics. All citizens should perform their rights and duties for the development of the country.

मुख्य शब्द : अखण्डता, अनुबंध, अक्षुण्ण, आह्वान, संवर्धन, ज्ञानार्जन
Integrity, Contract, Intact, Invocation, Promotion, Learning.

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान किये हुए है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों लोगों के साथ किया गया स्वतंत्रता के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों ने मानवीय गरिमा को छिन्न–भिन्न कर दिया था। प्रत्येक व्यक्ति एक–दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। एसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के समक्ष देश की एकता–अखंडता, मानवीय गरिमा को स्थापित करने तथा लोगों में परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौति थी। संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। वर्ष 1976 में संविधान के भाग–4 क में अनुच्छेद–51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिये मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया हैं।

संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29–30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मूल अधिकारों का महत्व

1. ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं।
2. ये वैयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं।

3. देश में विधि के शासन की व्यवस्था करते है।
4. सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं।
5. ये अल्पसंख्सकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं।

मूल कर्तव्यों से तात्पर्य

मूल कर्तव्य राज्य और नागरिकों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध हैं। जो किसी देश के संविधान द्वारा वैद्यता प्राप्त करता हैं।

अधिकारों के सापेक्ष यह भी महत्वपूर्ण हैं कि सभी नागरिक समाज और राज्य के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में ईमानदार रहें।

कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में भी राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता हैं।

मूल कर्तव्यों की सूची

हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के 11 मौलिक कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो , संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च और राष्ट्रगान का आदर करे।
3. भारत की संप्रभूता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो कि पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हों।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊँचाईयों को छू सके।
11. छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

अधिकार एवं कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्त्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। जैसे वन, नदी, जल इत्यादि हमारे समाज की प्राकृतिक धरोहर हैं, हमें इनकी रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करना हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है तो उनके अभिभावकों का भी कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें।

हमे अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए जिससे अपना और अपने देश का विकास हो सके प्रत्येक व्यक्ति कर्त्तव्यों का पालन करेगा तो व्यक्ति की गरिमा के साथ–साथ समाज में सम्मान बढ़ेगा तथा समाज के साथ–साथ देश का मान भी बढ़ेगा जिससे अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख मजबुत होगी एवं देश में भाईचारे के साथ एकता एवं अखण्डता कायम होगी।

मूल अधिकार और कर्तव्य एक–दूसरे के पूरक

1. जहाँ एक ओर नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन जैसी सुविधाओं के उपयोग का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेहतर रखरखाव का कर्तव्य भी आरोपित है।
2. यदि संविधान में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाने का कर्तव्य भी उल्लिखित है।
3. संविधान में गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है तो इसे मूर्त रूप देने के लिये पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व भी है।
4. जहाँ एक ओर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य भी है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएँ।
5. यदि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हैं तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का दायित्व भी है।
6. जहाँ एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर सर्वधर्म समभाव और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के परिरक्षण का भी दायित्व है।
7. जहाँ एक ओर हमें सूना पाने का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर असामाजिक व देशविरोधी तत्वों के बारे में जाँच एजेंसियों को सूचना उपलब्ध कराने का कर्तव्य भी निहित है।

परिकल्पना

मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों से आमजन को अपने जीवन को बेहतर बनाने में सुविधा मिलती हैं। मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों से लोगो का एक दूसरे के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आया है। जो संविधान के महत्व को समझने में मदद मिलती है। सरकार भी आमजन के प्रति उदार हुई है। लोगो में जागरूकता की वजह से देष की प्रगति एवं आमजनजीवन बेहतर हुआ है।

शोध विधि तंत्र

प्रस्तुत लेख में संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों का महत्व को प्रदर्शित करने के लिए दोनों प्रकार के कारकों का चयन किया गया है। जिसमें संविधान में उल्लेखित अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ समय –समय पर प्रकाशित रिपोर्टो का संकलन किा गया है।

विश्लेषण

संविधान में मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को लागु करने के साथ–साथ उनको नागरिको को देने के लिए अनेक प्रावधान किये गए है। लोगो में आपसी सहयोग एवं उनके जीवन में समृद्धि लाने के प्रयास सकार द्वारा किये

जाते है। भारतीय संविधान में इनका वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है संविधान के भाग–3 में अनूच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों को मूल अधिकारों की व्यवस्था गई। वर्ष 1976 में संविधान के भाग–4 क में अनुच्छेद–51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई । मूल अधिकरों एवं कर्तव्यों को लागु करने में सरकार एवं आमजन में समन्वय आवश्यक है क्योंकि कोई कानून तभी प्रभावी होता है जब जनता का समर्थन हासिल हो।

अध्ययन का उददेश्य

सवैधानिक अधिकार और कर्तव्य भारतीय नागरिकों में आपसी सहयोग एंवम् समानता तथा सामाजिक न्याय के बारे में जागरूक करते है। मूल अधिकार एंवम् कर्तव्य नागरिकों के जीवन को अच्छा बनाने में मदद मिलेगी तथा देश के प्रति अपने दायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित करगें। तथा राष्ट्रीय धरोवर के प्रति सम्मान एंवम् उनकी रक्षा करने के लिए भारतीय नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करगें साथ ही अर्न्तराश्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश की साख अच्छी होगी एवम दूसरे देशों के साथ भाईचारे की भावना का विकास होगा।

निष्कर्ष

अधिकार एवं कर्त्तव्यों के पालन से हमें अपने देश में सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। कर्त्तव्य व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सुधार के रूप में एक ऋण हैं इससे अपना ही विकास नहीं होता बल्कि दूसरे व्यक्तियों के उत्थान में भी मदद मिलती हैं एवं नागरिकों का समुचित विकास होता हैं जो अपने देश के विकास में भागीदारी निभाता है प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने अधिकारो के पालन के साथ–साथ अपने कर्त्तव्यों के उत्तरदायित्व को समझना चाहिए मौलिक अधिकार हमें देश में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतत्रता प्रदान करते है वही मौलिक कर्त्तव्य हमें अपने दायित्वों के बारे में सजग करते हैं इससे देश में भाईचारा एवं विश्वास के साथ देश के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक अपनी भूमिका निभाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डी सी कंस्टीटूशन
2. के सी व्हीलर फेडरल गवर्नमेंट
3. डॉ पूरणमल भारतीय संघीय व्यवस्था एवं केन्द्र राज्य सम्बन्ध
4. रूपा मंगलानी भारतीय शासन और राजनीति
5. रमेश आरोड़ा गीता चतुर्वेदी भारत में राज्य प्रशासन 2007
6. रमेश आरोड़ा भारत में राज्य प्रशासन 2007
7. फड़िया एण्ड जैन भारतीय संघ व्यवस्था प्राक्कथन
8. गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया पब्लिकेशन नई दिल्ली 1988
9. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद् (एन.सी. ई.आर.टी.) पुस्तक राजनीति विज्ञान
10. डॉ सुभाष कश्यप पॉलिटिकल सिस्टम बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया 2008
11. भारत का संविधान रजत जयंती संस्करण
12. सुभाष कश्यप हमारा संविधान